**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**राजस्व विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2155**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 1 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)**

**पीएमओ द्वारा काले धन के प्रकटीकरण के संबंध में सीआईसी आदेश**

**2155. श्री रवि प्रकाश वर्माः**

**श्री नीरज शेखरः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ को 16 अक्तूबर, 2018 को विदेशों से वापस लाए गये काले धन के ब्यौरे को प्रकट करने के लिए निर्देश देते हुए आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएमओ ने सूचना को प्रकट करने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

1. **से (घ):** केंद्रीय सूचना आयोग ने, दिनांक 16.10.2018, अपने आदेश के तहत, अपीलकर्ता को काले धन से संबंधी जानकारी के लिए उसके अनुरोध के सम्बंध में विशिष्ट जानकारी देने का का निर्देश दिया था। तदनुसार, अपीलकर्ता को एक विशिष्ट उत्तर प्रदान किया गया है। यह सूचित किया गया है कि एक विशेष जांच दल (एसआईटी) पहले से ही स्थापित हो चुका है और इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है।

इस समय सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों/प्रयासों की प्रक्रिया, अपराधियों की जांच या आशंका या अभियोजन की पूरी प्रक्रिया को बाधित कर सकती है और इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) ज के तहत छूट के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है।

इसके अलावा, इस प्रकार की जांच अलग-अलग सरकारी खुफिया और सुरक्षा संगठनों के दायरे में आती हैं जिन्हें आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि वह आरटीआई अधिनियम की धारा 24 की दूसरी अनुसूची का भाग बनता है।

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***